भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
Central Electricity Authority
पी .डी एम .प्रभाग
Power Data Management Division

सं. केविप्रा/पीएलजी/पीडीएम/545/2017/ 1324 – 1383 **दिनांक :** 26-05-2017

सेवा में,

श्री, बी.बी.त्रिपाठी
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर,
पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड,
प.ओ.पतरातू, डिस्ट्रिक्ट-रामगढ,
झारखण्ड-829119.
ईमेल: tripathybb@ntpc.co.in, bbtripathy69@hotmail.com, मोबाइल न.: 9437176595

विषय : पतरातू टी.पी.एस. की यूनिट न० 4,6,7,9 और 10 को विद्युत अधिनियम 2003 के अनुभाग 73(M) के तहत फेज आउट के संदर्भ में राय।

संदर्भ: *सं. PVUNL/COMML/2017/19, Dated 30-03-2017*

महोदय,

कृपया पतरातू टी.पी.एस. के उपरोक्त पत्र का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें पतरातू की यूनिट संख्या 4,6,7, 9 और 10 कुल 455 मेगावाट (1x40+1x90+1x105+2x110 मेगावाट) को रिटायर करने की राय मांगी गई है। इस संबंध में पीवीयूएनएल द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों की केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की विद्युत उत्पादन युनिटों के डिरेशन, अपरेशन ओर रिटायरमेंट संबंधी स्थायी समिति द्वारा जांच की गई है। स्थायी समिति के अनुरोध पर, अध्यक्ष CEA द्वारा पीवीयूएनएल को यूनिट संख्या 4,6 और 7 को रिटायर करने, यूनिट संख्या 9 को R&M पर किये गये संपूर्ण निवेश को ध्यान में रखते हुए रिटायर करने की सलाह दी है। यूनिट संख्या 10, 31 साल पुराना है तथा इसका ताप दर एवं सहायक खपत बहुत अधिक है। यद्यपि 2016-17 में इसका पीएलएफ 82% था। R&M पर किये गये निवेश एवं नये पर्यावरणीय मानदंडों के पालन करने हेतु आवश्यक निवेश तथा निवेश की गई राशी की वसूली के लिये, इस यूनिट को शेष समय तक चलाना पड़ेगा। यह देखते हुए यूनिट चलाने का आप निर्णय लें। यह पूर्ण रूप से एक आर्थिक निर्णय है।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग
डा. सं. 222
दिनांक 11.6.2017

पीवीयूएनएल को सुचित किया जाता है कि यह एक सलाह है न कि बंधन। अंतिम निर्णय पीवीयूएनएल पर छोड़ दिया गया है जो कि इन मामलो में तकनीकी-आर्थिक कारणों के आधार पर सभी यूनिट पर अपना निर्णय ले सकता है। पीवीयूएनएल प्रबंधन जैसे ही इन यूनिट को रिटायर करता है CEA द्वारा इस क्षमता को अखिल भारतीय स्थापित क्षमता के रिकॉर्ड से हटा दिया जायेगा।

भवदीय,
26/5/2017
(पी.सी. कुरील)
सचिव, के.वि.प्रा.

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ:-

1. अध्यक्ष, केविप्रा के वरिष्ठ सहायक ।
2. सदस्य (योजना/जल विद्युत/तापीय/ आ.एवं वा./ जी एंड ओ/ पी.एस.), के.वि.प्रा. ।
3. केविप्रा के सभी मुख्य अभियंता ।
4. के.वि.प्रा. के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के प्रधान ।
5. [redacted] ~~वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।~~

Sewa Bhawan , R. K. Puram, New Delhi – 110066 Tel No.011-26102941,26105546 (Fax) Email: cedmlfcea@yahoo.com Website: www.cea.nic.in